भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 353

<u>दिनांक 18 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

तटीय निर्यात अवसंरचना

*353. श्री पिनाकी मिश्राः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में तटीय क्षेत्र में निर्यात अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कोई उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात की वस्तुओं से संबंधित प्रक्रियागत पहलू सर्वोत्तम वैश्विक प्रचालनों के अनुरूप हैं और इस संबंध में वैश्विक स्तर पर कितना समय लिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो निर्यात के प्रक्रियागत पहलुओं के संबंध में लिए जाने वाले समय को कम करने की कोई योजना है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

तटीय निर्यात अवसंरचना के संबंध में 18 मार्च, 2020 की उत्तरार्थ श्री पिनाकी मिश्रा द्वारा पूछे गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 353 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख) : भारत सरकार की अवसंरचना के विकास के लिए अनेक क्षेत्र विशिष्ट स्कीमें हैं जिसमें देश में तटीय क्षेत्र भी शामिल हैं। कुछ फ्लेगशिप स्कीमें नीचे उल्लिखित हैं :-

सागर माला कार्यक्रम :
सागर माला कार्यक्रम का निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित है :-

क) **पत्तन आधुनिकीकरण और नव पत्तन विकास** : मौजूदा पत्तनों की बाधाओं को दूर करना और क्षमता का विस्तार करना तथा नवीन ग्रीनफील्ड पत्तनों का विकास करना।

ख) **पत्तन संपर्क में वृद्धि** : भीतरी क्षेत्र में पत्तन की कनेक्टिविटी में वृद्धि करना, घरेलू जलमार्ग (अंतर्देशीय जल परिवहन और राष्ट्रीय नौवहन) सहित बहु मॉडल लॉजिस्टिक समाधानों के माध्यम से कार्गो की आवाजाही की लागत और समय में कमी लाना।

ग) **पत्तन संबंधित औद्योगिकीकरण** : एक्सिम तथा घरेलू कार्गो की लॉजिस्टिक लागत और समय में कमी लाने के लिए पत्तन के निकट औद्योगिक समूहों तथा तटीय आर्थिक क्षेत्र का विकास करना।

घ) **तटीय समुदाय विकास** : कौशल विकास एवं आजीविका सृजन गतिविधियों, मत्स्य विकास, तटीय पर्यटन इत्यादि के माध्यम से तटीय समुदाय के सतत् विकास को प्रोत्साहन देना।

भारतमाला परियोजना

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की भारतमाला परियोजना (चरण-1) के अंतर्गत लगभग 9000 किलोमीटर के आर्थिक कॉरिडोर, लगभग 6000 किलोमीटर के अंतर-कॉडिडोर और फीडर सड़कें, लगभग 5000 किलोमीटर के राष्ट्रीय कॉरिडोर कुशलता सुधार, लगभग 2000 किलोमीटर की सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, लगभग 2000 किलोमीटर की तटीय और पत्तन संपर्क सड़कें, लगभग 800 किलोमीटर के एक्सप्रैसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के अंतर्गत लगभग 10000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया है। फरवरी, 2020 तक भारतमाला परियोजना के तटीय और पत्तन संपर्क सड़क घटक के अंतर्गत लगभग 168 किलोमीटर की कुल औसत लंबाई तक फैली हुई 6 सड़क परियोजनाओं को लगभग 1842 करोड़ रुपये की लागत से अवार्ड की गई हैं।

(ग), (घ) और (ड.) : विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सीमा पार व्यापार पर भारत की नवीनतम रैंकिंग वर्ष 2016 की 133 से बढ़कर वर्ष 2020 में 68 हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि के दौरान निर्यातों-आयातों के लिए सीमा अनुपालन में लगने वाले समय में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है।

वस्तुओं के निर्यात के लिए पत्तन प्रचालन प्रक्रियाओं को साधारण, प्रयोक्ता अनुकूल पत्तन औपचारिकताओं वाली सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के समान रखा गया है। जवाहर लाल नेहरू पत्तन (जेएनपीटी) नवी मुंबई सहित महत्वपूर्ण पत्तनों द्वारा कुछ उन्नत पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है जो एक्सिम कंटेनर की अधिकतम मात्रा का रखरखाव कर रहा है, जिसका उल्लेख **अनुबंध-1** में दिया गया है।

भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आइसगेट) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के मध्य आंतरिक सहसंबंधों और अन्य पद्धतियों ने ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए सीमाशुल्क निकासी को सुविधाजनक बना दिया है। भारत व्यापार सुगमीकरण संबंधी करार के लिए भी हस्ताक्षरकर्ता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आयात-निर्यात और परिवहन से संबंधित औपचारिकताएं भी शामिल हैं।

***

अनुबंध-I

तटीय निर्यात अवसंरचना से संबंधित श्री पिनाकी मिश्रा द्वारा पूछे गए दिनांक 18.03.2020 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 353 के उत्तर के भाग (ग), (घ) और (ड़) के संदर्भ में अनुबंध-I

महत्वपूर्ण पत्तनों द्वारा अपनाई गई संशोधित प्रक्रियाएं तथा प्रौद्योगिकियां

1. प्रत्यक्ष पत्तन प्रवेश(डीपीई) -

प्रत्यक्ष पत्तन प्रवेश (डीपीई) निर्यात कंटेनरों को सीएफएस के माध्यम से लाने के बजाय सीधा पत्तन में लाने के लिए निर्यातकों के लिए बनाई गई सुविधा है जहां उन्हें सीमा शुल्क विभाग से अनुमोदन लेने के बाद टर्मिनल गेट से आना होता था। डीपीई को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमाशुल्क प्रोसेसिंग क्षेत्रों का सृजन तथा केन्द्रीकृत पार्किंग प्लाजा का विकास करने जैसे उपाय किए गए थे ।

2. कंटेनर स्कैनर -

पत्तन में रखने के समय को कम करने के लिए एक्जिम कंटेनरों के त्वरित स्कैनिंग हेतु न सिर्फ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (जेएनपीटी) बल्कि विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी), कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट(केओपीटी), कामारजर पोर्ट लिमिटेड (केपीएल), न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट(एनएमपीटी) और पाराद्वीप पोर्ट ट्रस्ट(पीपीटी) में 8 कंटेनर स्कैनरों को स्थापित किया गया है।

3. पत्तन समुदाय प्रणाली(पीसीएस) -

सभी प्रमुख पत्तनों में केन्द्रीकृत वेब आधारित पत्तन समुदाय प्रणाली के प्रचालनशील किया गया है जो समान इंटरफेस के माध्यम से विभिन्न पणधारकों के बीच निर्बाध जानकारी प्रवाह को सक्षम बनाता है।

4. मैनुअल तरीकों को हटाना -

कुछ पत्तनों में टर्मिनलों में पहुँच हेतु उपयोग होने वाले मैनुअल तरीकों को वेब आधारित ई-तरीकों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इससे पत्तन गेट में कंटेनर के लिए प्रतीक्षा समय कम हो गया तथा कार्गो के शीघ्रतापूर्वक निकासी संभव हुई है और पत्तन गेटों पर भीड़भाड़ कम हुई है।

5. जेएनपीटी में केन्द्रीयकृत पार्किंग प्लाजा का विकास -

निर्यात कंटेनरों के ले जाने वाले ट्रकों के लिए पार्किंग सुविधा प्रदान करने हेतु जेएनपीटी एक केन्द्रीयकृत पार्किंग प्लाजा का विकास कर रहा है तथा निर्यात के लिए गेट से पहले प्रवेश संबंधी औपचारिकताओं और प्रलेखनों को पूरा करने में समर्थ बना है जिससे कि जेएनपीटी सड़कों पर भीड़भाड़ कम हो सके।

6. नई ई-रबड़ टायर के गैन्ट्री क्रेन (आरटीजीसीएस) -

निर्यात दक्षता में सुधार लाने तथा शीघ्रतापूर्वक लदान परिचालन के लिए जेएनपीटी ने 15 नई ई-रबड़ टायर गैन्ट्री क्रेनों(आरटीजीसीएस) को लगाया है जिससे स्टैकिंग कंटेनरों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

7. डीएफसी रैकों के प्रबंधन के लिए साझा रेल यार्ड -

डीएफसी रैंकों के प्रबंधन के लिए जेएन पत्तन ने सामान्य रेल यार्ड के संशोधनों के लिए अवसंरचनात्मक कार्य को पहले ही करना शुरू कर दिया है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 357

<u>दिनांक 18 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

विश्व व्यापार संगठन के सम्मुख विवाद

*357. श्री जयदेव गल्लाः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सम्मुख भारत के 30 से अधिक विवाद चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कौन–कौन से देश सम्मिलित हैं;

(ग) उन विवादों जिनमें भारत परिवादी है और उन विवादों जिनमें भारत प्रत्यर्थी है, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कुछ देशों द्वारा इसके बजट को रोक देने की चेतावनी के दृष्टिगत विश्व व्यापार संगठन का संभावित भविष्य क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

“विश्व व्यापार संगठन के सम्मुख विवाद” के संबंध में श्री जयदेव गल्ला द्वारा दिनांक 18.03.2020 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 357 के भाग (क) से (घ) के उत्तरार्थ संदर्भित विवरण।

(क) से (ग) : जी, नहीं। इस समय भारत के डब्ल्यूटीओ में 15 विवाद हैं, जिनमें से 4 में वह शिकायतकर्ता और 11 में प्रतिवादी है। इन विवादों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) : डब्ल्यूटीओ का वार्षिक बजट इसके सदस्यों द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हिस्से पर आधारित फार्मूला के अनुसार उनके योगदान से उपार्जित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020 के लिए डब्ल्यूडीओ का बजट, यद्यपि कुछ विलंब से, वर्ष 2019 में स्वीकृत हो गया था जिससे दिसम्बर, 2020 तक डब्ल्यूटीओ का सतत् प्रचालन सुनिश्चित है।

*****

दिनांक 16.03.2020 की स्थिति के अनुसार

डब्ल्यूटीओ में भारत के विवादों का विवरण

इस समय भारत के डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्य देशों के साथ 15 विवाद (शिकायतकर्ता के रूप में 4 और प्रतिवादी के रूप में 11) हैं और उनका विवरण निम्नलिखित है :

संयुक्त राज्य के साथ विवाद-8 (शिकायतकर्ता और प्रतिवादी प्रत्येक के रूप में 4)

जापान 2 (प्रतिवादी के रूप में)

ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला, ईयू, ताईवान (प्रत्येक के साथ प्रतिवादी के रूप में एक)

(क) विवाद जिनमें भारत शिकायतकर्ता पक्षकार है (4 मामले)

i) डीएस436 (भारतीय इस्पात उत्पादों पर यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क)
प्रतिवादी – संयुक्त राज्य अमेरिका

ii) डीएस-503 (गैर-अप्रवासी बीजा से संबंधित यूएस द्वारा उपाय)
प्रतिवादी – यूनाइटेड स्टेट्स

iii) डीएस-510 (यूएस का उप-संघीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम
प्रतिवादी – यूनाइटेड स्टेट्स

iv) डीएस-547 (इस्पात एवं एल्युमिनियम उत्पादों पर यूएस द्वारा कुछ उपाय)
प्रतिवादी – यूनाइटेड स्टेट्स

ख. डब्ल्यूटीओ विवाद जहां भारत प्रतिवादी पक्षकार है (11 मामले)

v) डीएस-430 (कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पादों के आयात पर भारत द्वारा निषेध)
शिकायतकर्ता – यूनाइटेड स्टेट्स

vi) डीएस-456 (राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत सौर सेलों और सौर मॉडयूलों से संबंधित भारत के उपाय संबंधी विवाद
शिकायकर्ता – यूनाइटेड स्टेट्स

vii) डीएस-518 (लोहा एवं इस्पात उत्पादों पर भारत के रक्षोपाय साधन)
शिकायकर्ता – जापान

viii) डीएस-541 (भारत की निर्यात संवर्धन स्कीमें)
शिकायतकर्ता – यूनाइटेड स्टेट्स

ix-xi) डीएस579, डीएस580, डीएस581 (चीनी एवं गन्ने से संबंधित भारत के उपाय)
शिकायतकर्ता क्रमशः ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला

xii-xiv) डीएस582 और डीएस584, डीएस588 (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेक्टर की कुछ वस्तुएं और भारत का टैरिफ उपचार
शिकायतकर्ता – क्रमशः ईयू, जापान एवं ताईवान

xv) डीएस-585 (यूएस से कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क)
शिकायतकर्ता – यूनाइटेड स्टेट्स

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3919

<u>दिनांक 18 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

दूध और दुग्ध उत्पादों पर एफटीए

3919. श्री जसबीर सिंह गिलः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसी देश के साथ दूध और दुग्ध उत्पादों के संबंध में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;
(ख) यदि हां,तो ऐसे देशों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऐसे किसी एफटीए पर न्यूजीलेंड और आस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर हुए हैं; और
(घ) घरेलू डेयरी किसानों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ख) : सरकार ने आसियान, जापान तथा कोरिया के साथ दूध पर किसी मुक्त व्यापार करार (एफटीए) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, आसियान तथा जापान के साथ एफटीए में कुछ दुग्ध उत्पादों यथा छाछ, योगर्ट तथा चीज की कुछ किस्मों को बाजार पहुंच प्रदान की गई है।

(ग) : भारत ने न्यूज़ीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के साथ किसी एफटीए पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(घ) : डेयरी कृषकों के हितों की रक्षा करने तथा देश में डेयरी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमों नामतः राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, डेयरी उद्यमिता विकास स्कीम, डेयरी प्रसंस्करण तथा अवसंरचना विकास निधि, डेयरी गतिविधियों में लगे डेयरी सहकारिता तथा कृषक उत्पादक संगठनों को सहायता, राष्ट्रीय पशुधन मिशन तथा पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण स्कीम क्रियान्वित कर रही है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 3925

दिनांक 18 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

खाद्यान्नों में व्यापार

3925. श्री देवुसिंह चौहानः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारत में निर्यात और आयात किए गए खाद्यान्नों की लागत और मात्रा कितनी है और उन देशों के नाम क्या हैं जहां यह निर्यात/आयात किए गए हैं;

(ख) ऐसे खाद्यान्नों जो निर्यात की दरों से अधिक दरों पर आयात किए गए है की सूची क्या है और सरकार को हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के व्यापार घाटे के पीछे क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग)ः चालू वर्ष सहित गत पांच वर्षों के दौरान निर्यातित और आयातित खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्य तथा व्यापार घाटा निम्नानुसार हैः

(मात्रा हजार टन में) (मूल्य अमेरिकी बिलियन डॉलर में)

वर्ष	श्रेणी	चावल (बासमती)		चावल (बासमती के अलावा)		गेहूँ		अन्य अनाज		दाल	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2015-16	निर्यात	4045.8	3.5	6464.6	2.4	666.7	0.16	967.9	0.3	255.7	0.25
	आयात			1.0	0.0009	517.7	0.14	206.1	0.1	5797.7	3.90
	व्यापार घाटा		**3.5**		**2.4**		**0.03**		**0.2**		**-3.65**
2016-17	निर्यात	3985.2	3.2	6770.8	2.5	265.6	0.1	734.8	0.2	136.7	0.19
	आयात			1.1	0.001	5749.4	1.3	311.4	0.1	6609.5	4.24
	व्यापार घाटा		**3.2**		**2.52**		**-1.2**		**0.1**		**-4.05**
2017-18	निर्यात	4056.8	4.2	8818.5	3.6	322.8	0.1	864.2	0.25	179.6	0.23
	आयात			2.1	0.002	1649.7	0.4	265.1	0.07	5607.5	2.91
	व्यापार घाटा		**4.2**		**3.63**		**-0.3**		**0.18**		**-2.68**

वर्ष	श्रेणी	चावल (बासमती)		चावल (बासमती के अलावा)		गेहूँ		अन्य अनाज		दाल	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2018-19	निर्यात	4414.6	4.7	7648.0	3.0	226.6	0.1	1257.2	0.35	287.1	0.26
	आयात			6.9	0.005	2.7	0.001	244.3	0.07	2527.9	1.14
	व्यापार घाटा		**4.7**		**3.0**		**0.059**		**0.28**		**-0.88**
2019-20 (अप्रैल–जनवरी)*	निर्यात	3299.3	3.40	4015.5	1.63	185.6	0.05	424.6	0.17	179.5	0.175
	आयात			5.0	0.01	1.7	0.0006	478.6	0.12	2628.1	1.271
	व्यापार घाटा				**1.62**		**0.0521**		**0.05**		**-1.096**

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, *अनंतिम

चालू वर्ष सहित गत पांच वर्षों के दौरान मुख्य दे”ाों को खाद्यान्नों के निर्यात और वहां से आयात के ब्यौरे क्रम”ाः **अनुलग्नक–I** और **अनुलग्नक–II** में दिए गए हैं। व्यापार घाटा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारकों जैसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग और आपूर्ति, मुद्रा में उतार–चढ़ाव, अंतरराष्ट्रीय मूल्य आदि के कारण विभिन्न वस्तुओं के आयात और निर्यात में सापेक्ष उतार–चढ़ाव पर निर्भर करता है।

***

अनुलग्नक–I

18 मार्च, 2020 को लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3925 में भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरणः–

चालू वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख देशों की सूची जिन्हें खाद्यान्न निर्यात किए गए

क्र. सं.	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अप्रैल–जनवरी)
1	बांग्लादेश पीआर	अल्जीरिया	बेल्जियम	बांग्लादेश पीआर	ऑस्ट्रेलिया
2	बेनिन	ऑस्ट्रेलिया	बेनिन	बेल्जियम	बांग्लादेश पीआर
3	कोटे डी आइवर	बांग्लादेश पीआर	कोटे डी आइवर	बेनिन	बेनिन
4	गिनी	बेल्जियम	जिबूती	कनाडा	कनाडा
5	इंडोनेशिया	बेनिन	मिस्र अरब गणराज्य	कोटे डी आइवर	कोटे डी आइवर
6	ईरान	कनाडा	घाना	जिबूती	जिबूती
7	इराक	कोटे डी आइवर	गिनी	गिनी	मिस्र अरब गणराज्य
8	जॉर्डन	जिबूती	ईरान	ईरान	गिन्नी
9	कुवैत	गिनी	इराक	इराक	इंडोनेशिया
10	लाइबेरिया	ईरान	जॉर्डन	इटली	ईरान
11	मलेशिया	इराक	कुवैत	जॉर्डन	इराक
12	नेपाल	जॉर्डन	लाइबेरिया	कुवैत	इजराइल
13	नीदरलैंड	कुवैत	मेडागास्कर	लाइबेरिया	जॉर्डन
14	नाइजीरिया	लाइबेरिया	नेपाल	मेडागास्कर	कुवैत
15	ओमान	नेपाल	नीदरलैंड	नेपाल	लाइबेरिया
16	पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य	नीदरलैंड	नाइजर	नीदरलैंड	मेडागास्कर
17	कतर	ओमान	ओमान	ओमान	नेपाल
18	सऊदी अरब	पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य	कतर	कतर	ओमान
19	सेनेगल	कतर	सऊदी अरब	सऊदी अरब	फिलीपींस
20	सिंगापुर	सऊदी अरब	सेनेगल	सेनेगल	कतर
21	सोमालिया	सेनेगल	सिंगापुर	सोमालिया	सऊदी अरब
22	दक्षिण अफ्रीका	सिंगापुर	सोमालिया	दक्षिण अफ्रीका	सेनेगल
23	श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य	सोमालिया	दक्षिण अफ्रीका	श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य	सोमालिया
24	तुर्की	दक्षिण अफ्रीका	श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य	टोगो	दक्षिण अफ्रीका
25	संयुक्त अरब अमीरात	तुर्की	तुर्की	तुर्की	जाना
26	यूनाइटेड किंगडम	संयुक्त अरब अमीरात	संयुक्त अरब अमीरात	संयुक्त अरब अमीरात	संयुक्त अरब अमीरात
27	संयुक्त राज्य अमेरिका	यूनाइटेड किंगडम	यूनाइटेड किंगडम	यूनाइटेड किंगडम	यूनाइटेड किंगडम
28	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका

स्रोतः डीजीसीआईएडंएस

अनुलग्नक–II

18 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3925 में भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

चालू वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख देशों की सूची जिनसे खाद्यान्न आयात किए गएः–

क्र. सं.	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अप्रैल–जनवरी)
1	अफगानिस्तान	अफगानिस्तान	अफगानिस्तान	अफगानिस्तान	अर्जेंटीना
2	अर्जेंटीना	अर्जेंटीना	अर्जेंटीना	अर्जेंटीना	अर्जेंटीना
3	ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रेलिया
4	ब्राजोल	बुल्गारिया	ब्राजोल	ऑस्ट्रिया	ब्राजोल
5	कनाडा	कनाडा	बुल्गारिया	ब्राजोल	कनाडा
6	चीन लोक गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कनाडा	कनाडा	चीन लोक गणराज्य
7	इथियोपिया	एस्तोनिया	चीन लोक गणराज्य	चीन लोक गणराज्य	डेनमार्क
8	फ्रांस	इथियोपिया	इथियोपिया	जिबूती	जिबूती
9	इंडोनेशिया	फ्रांस	फ्रांस	इथियोपिया	इथियोपिया
10	केन्या	जर्मनी	जर्मनी	केन्या	फ्रांस
11	लिथुआनिया	केन्या	लिथुआनिया	किर्गिस्तान	मलावी
12	मेडागास्कर	लिथुआनिया	मलावी	लिथुआनिया	मोजाम्बिक
13	मलावी	मलावी	मेक्सिको	मलावी	म्यांमार
14	मेक्सिको	मालडोवा	मोजाम्बिक	मोजाम्बिक	म्यांमार
15	मोजाम्बिक	मोजाम्बिक	म्यांमार	म्यांमार	रूस
16	म्यांमार	म्यांमार	रोमानिया	नीदरलैंड	रूस
17	रूस	रोमानिया	रूस	रूस	सिंगापुर
18	सूडान	रूस	सूडान	सिंगापुर	सूडान
19	तंजानिया गणराज्य	सूडान	तंजानिया गणराज्य	दक्षिण अफ्रीका	तंजानिया गणराज्य
20	थाईलैंड	तंजानिया गणराज्य	तुर्की	सूडान	तुर्की
21	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	तंजानिया गणराज्य	संयुक्त अरब अमीरात
22	यूगांडा	यूगांडा	यूक्रेन	तुर्की	संयुक्त राज्य अमेरिका
23	यूक्रेन	यूक्रेन	उरुग्वे	संयुक्त अरब अमीरात	यूक्रेन
24	उज़्बेकिस्तान	उज़्बेकिस्तान	उज़्बेकिस्तान	संयुक्त राज्य अमेरिका	यूक्रेन

सोतः डीजीसीआईएडंएस

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3932

दिनांक 18 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्रसंस्कृत फलों का निर्यात

3932. श्री एन॰ रेड्डप्पः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2019 में भारत से निर्यात किए गए प्रसंस्कृत फलों, जो आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से चित्तूर जिले में चालू और स्थापित इकाइयों से आता है का प्रतिशत क्या है;
(ख) चित्तूर जिले में प्रसंस्कृत फलों के निर्यात से अर्जित प्रति इकाई वर्ष–वार राशि कितनी है;
(ग) क्या सरकार के साथ भागीदारी में भारत का फल पल्प उद्योग निर्यात बढ़ावा देने के लिए इन इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करता है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वित्तीय वर्ष 2019-20 में, भारत से निर्यात किए गए प्रसंस्कृत फलों का आंध्र प्रदेश से निर्यात प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है :-

अवधि	पूरे भारत से		आन्ध्र प्रदेश		निर्यात मूल्य में शेयर प्रतिशत
	मात्रा टन में	मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर	मात्रा टन में	मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर	
2019-20 (अप्रैल 19-दिसम्बर 19*	413349	465.58	70529	58.51	12.6

स्रोत : डीजीसीआई एवं एस

वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) द्वारा जिला-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते है।

(ग) और (घ) : फल के गूदे के निर्यात सहित, कृषि निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है। कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक कृषि निर्यात नीति आरंभ की है। मालभाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करने, कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए मालभाड़ा की हानि का प्रशमन करने और कृषि उत्पादों का विपणन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम – 'विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता' भी आरंभ की है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को फल के गूदे के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश है। एपीडा की निर्यात संवर्धन स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत फल का गूदा के निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध है। फल के गूदे के निर्यात सहित, निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग की अनेक स्कीमें अर्थात् निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमईआई) स्कीम, भारत पण्य वस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएल) आदि भी हैं।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3943

<u>दिनांक 18, मार्च 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

भारत के विरुद्ध डब्ल्यूटीओ का निर्णय

3943. श्री सय्यद ईमत्याज जलीलः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) के आग्रह पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के पैनल ने भारत की निर्यात संवर्धन योजनाओं के खिलाफ फैसला सुनाया है;
(ख) यदि हां, तो क्या डब्ल्यूटीओ ने मर्चेंडाइज निर्यात भारत योजना (एमईआईएस), विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) आदि के तहत रियायतों को वापस लेने के लिए कोई समय–सीमा दी है;
(ग) यदि हां, तो क्या अमरीकी अभिसमय के अनुसार, भारतीय निर्यातकों को भारत लगभग 7 बिलियन डॉलर की राजसहायता प्रदान करता है; और
(घ) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठन के निर्णय पर भारत का रुख क्या है और सरकार द्वारा पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहे निर्यातकों का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान पैनल ने दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 को सदस्यों को जारी अपनी रिपोर्ट में फैसला सुनाया है कि भारत की निर्यात संवर्धन स्कीमें (उदाहरणार्थ भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम, निर्यात उन्मुख इकाइयां स्कीम, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्कीम, पूंजीगत माल निर्यात संवर्धन स्कीम और निर्यातकों के लिए शुल्क मुक्त आयात स्कीम आदि) निर्यात प्रासंगिक हैं तथा वे सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों सम्बंधी करार के तहत निषिद्ध प्रकृति की सब्सिडियां हैं और इस कारण वे डब्ल्यूटीओं मानदंडों से असंगत हैं । इस पैनल ने इन स्कीमों को वापस लेने के लिए 90 - 180 दिनों की समय -सीमा दी है । तथापि, भारत ने दिनांक 19 नवंबर, 2019 को इस पैनल रिपोर्ट पर अपील की है और अपीलीय निकाय के गैर प्रचालनात्मक होने के कारण इस अपील को आस्थगित रखा गया है । अपील के निपटान होने तक भारत पैनल की सिफरिशों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है ।

(ग) और (घ) : हांलाकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दावा किया है कि भारत उपयुक्त स्कीमों में सब्सिडियां प्रदान कर रहा है, भारत ने विवाद में अपना मत प्रस्तुत किया है कि सब्सिडियां निर्यात प्रासंगिक नहीं हैं और इसलिए डब्ल्यूटीओं मानकों के संगत हैं । भारत ने पैनल के निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की है ।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3965

<u>दिनांक 18 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

इंजीनियरिंग माल का निर्यात

3965. श्री गौतम सिगामणि पोनः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्री जी॰ सेल्वमः
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः
श्री धनुष एम॰ कुमारः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन देशों की सूची क्या है जिन्हें भारत इंजीनियरिंग माल का निर्यात करता है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) क्या इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी), जोकि इंजीनियरिंग माल को बढावा देने वाला सर्वोच्च निकाय है, देश में इंजीनियरिंग माल के निर्यात को बढावा देने में विफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ;
(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य और इंजीनियरिंग माल के वास्तविक निर्यात का ब्यौरा क्या है;
(ड.)क्या सरकार का इंजीनियरिंग माल के निर्यात में गिरावट को रोकने के लिए इंजीनियरिंग **क्षेत्र** के लिए ब्याज छूट योजना के विस्तार और अन्य प्रोत्साहन सहित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में इंजीनियरिंग माल के निर्यात को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं 2

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) : उन देशों की सूची जिन्हें भारत इंजीनियरिंग माल का निर्यात करता है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान भारत से इन देशों में से प्रत्येक देश को निर्यात का मूल्य अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) : ईईपीसी इंडिया, इंजीनियरिंग क्षेत्र में निर्यात को बढावा देने के लिए वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में गठित एक परिषद है और इंजीनियरिंग उद्योग तथा सरकार के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान भारत से इंजीनियरिंग निर्यातों का मूल्य निम्नानुसार है:-

(बिलियन अम.डा में)

	2016-17	2017-18	2018-19
इंजीनियरिंग निर्यात	**65.24**	**76.21**	**81.02**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)	**11.33**	**16.81**	**6.31**

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि विगत तीन वर्षों के दौरान इंजीनियरिंग निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष क्रमश: 11.33% 16.81 % और 6.31 % की दर से यथेष्ट वृद्धि हुई है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान, ईईपीसी इंडिया द्वारा निर्धारित इंजीनियरिंग निर्यातों के लिए लक्ष्य और इंजीनियरिंग क्षेत्र के संदर्भ में वास्तविक निर्यात नीचे दिए गए है:-

(बिलियन अम.डा में)

इंजीनियरिंग निर्यात	**2016 - 17**	**2017-18**	**2018-19**
लक्ष्य	**65**	**70**	**80**
वास्तविक निर्यात	**65.24**	**76.21**	**81.02**

(ड.) और (च) भारतीय निर्यात विशेषकर इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक पहलें की हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित शामिल है:-

(i) **मंत्रिमंडल ने हाल में उस कर/शुल्क/लेवी की प्रतिपूर्ति करने के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) के लिए स्कीम अनुमोदित की है जो वर्तमान में केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर किसी अन्य प्रणाली के तहत वापस नहीं किया जा रहे हैं किन्तु जो निर्यातित उत्पादों के निर्माण और वितरण संबंधी प्रक्रिया में व्यय किए जाते हैं।**

(ii) **दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के तहत आरंभ की गई भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) का उद्देश्य उन वस्तुओं/उत्पादों के निर्यात में अन्तर्ग्रस्त अवसंरचनात्मक कमियों और उससे संम्बंधित लागत को दूर करना है जो भारत में उत्पादित/विनिर्मित हों, अधिसूचित प्रशुल्क लाइनों के निर्यातों के वसूल की गई एफओबी मूल्य के आधार पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स प्रदान की जाती है जो हस्तांतरणीय है तथा सीमा शुल्क सहित कुछ अन्य केन्द्रीय शुल्कों /करों का भुगतान करने के लिए**

उपयोग की जा सकती है। वर्तमान में, इस स्कीम में इंजीनियरिंग क्षेत्र से माल सहित 7500 से अधिक प्रशुल्क लाइनों के निर्यातों को कवर किया गया है।

(iii) पोतलदान पूर्व एवं पश्चात रूपया निर्यात क्रेडिट पर दिनांक 01.04.2015 से ब्याज समकरण स्कीम शुरू की गई जिसमें श्रम गहन/ एमएसएमई सेक्टर के लिए 3% ब्याज समकरण का प्रावधान है। दिनांक 02.11.2018 से एमएसएमई सेक्टर के लिए इस दर को बढ़ाकर 5% कर दिया गया और दिनांक 2.1.2019 से इस स्कीम के तहत व्यापारी निर्यात को शामिल किया गया है।

(iv) देश में निर्यात अवसंरचना अन्तराल को दूर करने के लिए दिनांक 01.04.2017 से निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है।

(v) इंजीनियरिंग निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए, ईईपीसी इंडिया के माध्यम से अनेक निर्यात संवर्धन गतिविधियां की जाती हैं जिनमें भारत में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग सोर्सिंग प्रदर्शनी और विश्व भर में इंडियन इंजीनियरिंग प्रदर्शनियां शामिल हैं।

(vi) भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों की वैश्विक छवि में वृद्धि करने के लिए ब्रांड "इंडियन इंजीनियरिंग" को बढ़ावा दिया जाता है।

(vii) अत्याधुनिक निर्यात उन्मुख प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन पहल

****

अनुबंध-I

विगत 3 वर्षों का इंजीनियरिंग निर्यात का देश-वार विवरण **मूल्य मिलियन अम.डा.में**

क्र.सं.	**देश (मूल्य मिलियन अम.डा.में)**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1	**संयुक्त राज्य अमेरिका**	7115.9	10270.1	11906.7
2	**संयुक्त अरब अमीरात**	4021.5	4193.7	4304.1
3	**सिंगापुर**	2833.3	1996.7	3483.7
4	**जर्मनी**	2215.5	3213.8	3244.9
5	**नेपाल**	2164.9	2571	2977.8
6	**बांग्लादेश**	1998.7	2455.3	2864.2
7	**यूके**	2529.1	2854	2803.7
8	**मेक्सिको**	2449.1	2674.8	2505.3
9	**इंडोनेशिया**	1421.1	1784.6	2362.7
10	**इटली**	2086.3	2462.3	2352.7
1 1	**चीन**	1973.2	3223.7	1834
12	**मलेशिया**	2406.9	2021.3	1757.9
13	**श्री लंका**	1434.5	1579.1	1740.1
14	**कोरिया जन.गण**	1602.4	1931.3	1734.5
15	**तुर्की**	1550.6	1761.2	1731.2
16	**थाईलैंड**	970	1241.1	1619.4
17	**बेल्जियम**	1220.2	1406.7	1615.7
18	**दक्षिण अफ्रीका**	1063.4	1355.2	1553.8
19	**सऊदी अरब**	1231.4	1271.8	1438.9
20	**फ्रांस**	1694.9	1422.6	1403.4
21	**नाइजीरिया**	580.2	877.7	1338.1
22	**जापान**	801.1	1056.2	1233.4
23	**वियतनाम**	1133.1	1175.3	1179.4
24	**स्पेन**	963	1196.6	1142.8
25	**ब्राज़ील**	627.4	926.3	1028.3
26	**नीदरलैंड**	922.8	891	1007.2
27	**कनाडा**	430.7	714.3	886.4
28	**ऑस्ट्रेलिया**	601.6	792.9	877.8
29	**ओमान**	745.4	613	816.1
30	**मिस्र**	499	758.9	764.2
31	**ताइवान**	855.7	787.1	722.7
32	**फिलिपींस**	549.2	670.4	664.6
33	**कोलंबिया**	385.6	508.9	579.4
34	**केन्या**	521.4	510.1	562.2
35	**रूस**	553.5	511.1	544.8
36	**पोलैंड**	343.5	527.2	537.6
37	**कतर**	214.6	514.5	525.5
38	**चिली**	332.5	365.9	500.4

39	कुवैत	645.2	538.4	467.4
40	अल्जीरिया	381.3	429.3	465.9
41	तंजानिया गणराज्य	236.7	275.9	342.5
42	ईरान	499.5	495.7	326.9
43	इजराइल	356.1	452.8	312.8
44	बहारन महाद्वीप	177.4	227	307
45	इथियोपिया	369.4	330.5	301
46	स्वीडन	237.7	263.5	294.3
47	भूटान	273.7	221.7	262.3
48	रोमानिया	117.7	218.3	252.6
49	हॉगकॉग	127.1	291	234.7
50	घाना	246	232.8	234.3
51	म्यांमार	204.4	353.7	229.1
52	पेरु	354.8	323.6	225.1
53	ऑस्ट्रिया	146.9	204.7	218.8
54	स्विट्ज़रलैंड	259.6	164.7	194.4
55	युगांडा	153.3	176.5	193.9
56	पाकिस्तान इस्लामिक रीलिफ	140.6	189.5	181.7
57	डेनमार्क	167	196.6	180
58	चेक गणतंत्र	321.9	173	178.1
59	अर्जेंटीना	178.8	292.2	166.3
60	सूडान	138.9	162.5	163.7
61	इक्वाडोर	111.8	149.5	159.8
62	यूनान	116.2	137.6	156.6
63	इराक	96.8	121.9	147
64	अफगानिस्तान	43.6	132.9	145.2
65	पुर्तगाल	155.3	168.2	138.5
66	ट्यूनीशिया	109.8	106.1	133.6
67	हंगरी	139.8	142.6	131
68	मोरक्को	125.4	104.4	127.6
69	ग्वाटेमाला	104.9	139.5	123.6
70	सेनेगल	188.3	153.9	117
71	आयरलैंड	85.4	95.9	112.6
72	कॉगो डी.गणराज्य	51.1	63.9	111.4
73	उज़्बेकिस्तान	45.1	53.2	100.7
74	मोज़ाम्बिक	58	82	100.1
75	जाम्बिया	64.7	76.6	100.1
76	मॉरीशस	140.1	95.9	97
77	गिनी	55.7	86.5	95.6
78	न्यूजीलैंड	66.5	86	92
79	ज़िबूटी	50.7	74.7	84.9
80	लेबनान	54.3	77	84.1
81	बुल्गारिया	144.6	55.7	82
82	जॉर्डन	80.8	62.8	79.9
83	फिनलैंड	67.7	95.1	77.1
84	कोट डी.आइवरी	94.1	185.2	77

85	कंबोडिया	18.3	21.4	76.7
86	रवांडा	37.2	32.3	74.9
87	यूक्रेन	62	77.8	72
88	पनामा गणराज्य	88.5	81.1	71
89	उरुग्वे	54	40.4	66.4
90	नॉर्वे	48.8	140.4	65.4
91	बुर्किना फासो	39.7	57.2	62.9
92	बोलिविया	53.3	70.7	61.6
93	कोस्टा रिका	100	76.9	60.7
94	मॉरिटानिया	6.9	20.8	57.8
95	पैराग्वे	60	76.9	56.8
96	स्लोवाक गणराज्य	48.5	55.7	56.5
97	मलावी	65.3	58.8	56.2
98	मालदीव	45.5	60.6	55.6
99	सोमालिया	40.9	56.8	53.7
100	कोंगो पी गणराज्य	43.9	35.3	53.6
101	माली	36.6	44.4	53
102	सेशल्स	16.6	19.3	52.8
103	डोमिनिक गणराज्य	101.2	51.2	52.4
104	स्लोवेनिया	26.5	51.4	51.6
105	बेनिन	72.7	55.1	48.7
106	अंगोला	25.3	31.4	47.4
107	सियरा लिओन	24	32.6	47.3
108	नामिबिया	11.5	9.8	45.9
109	होडुरूस	39.8	49	45.7
110	प्यूर्टो रिको	12	17.8	42
111	लीबिया	44.4	20.9	38.2
112	लातविया	32.6	32	37.2
113	ज़िम्बाब्वे	22.9	30.2	36.6
114	यमन गणराज्य	38.4	33.3	35.8
115	लिथुआनिया	27.1	28.5	34.1
116	एस्टोनिया	21.6	29.5	34
117	लाओं पीडी गणराज्य	14.3	16.2	30.6
118	कैमरून	26	49.9	30.2
119	त्रिनिदाद	33.6	35.6	28.7
120	मेडागास्कर	28	28.4	27.4
121	लाइबेरिया	25.2	120.6	27.3
122	क्रोएशिया	9.7	14	26.1
123	एल साल्वाडोर	25.5	25.9	25.7
124	ब्रुनेई	13.8	29.2	22.7
125	निकारागुआ	53.1	48.1	22.1
126	लक्ज़मबर्ग	7.7	7.4	22
127	सीरिया	20.8	24.1	21.9
128	कजाखस्तान	13.5	23.7	21.5
129	गाम्बिया	8	19.2	21.2
130	मोंटेनेग्रो	19.6	34.3	19.6

131	बोत्सवाना	8	12.1	18.5
132	गैबॉन	15.8	11.4	18.2
133	सर्बिया	11.7	13.9	18.1
134	जॉर्जिया	30.7	10.3	18.1
135	टोगो	24.3	22.3	18
136	जमैका	14.6	17.2	17.8
137	माल्टा	6.7	10.7	17.4
138	पपुआ एन गिनी	11.1	12.6	15.6
139	बुरूंडी	6.5	7.9	15.5
140	अज़रबैजान	20	11.1	15.4
141	फिजी महाद्वीप	14.9	14.5	14.9
142	मंगोलिया	1.2	11.9	11.3
143	हैती	7.1	13	1 1
144	चाड	6.5	8.3	10.7
145	बीआर वर्जिनिस	0	0	10.3
146	क्यूबा	9.6	7.8	10.1
147	सूरीनाम	2.4	7.5	9.9
148	साइप्रस	9	9.9	9
149	गुयाना	6.4	6.2	9
150	नाइजर	12.6	15	8.7
151	नीदरलैंडेंटिल	13	12.2	8.5
152	बोस्निया हर्जगोविना	1.3	5.2	8.1
153	बारबाडोस	8.5	7.6	7.9
154	अल्बानिया	8.1	6.4	6.5
155	अरूबा	5.7	4.3	6.3
156	अनस्पिसिफाइड	162.8	2.2	5.5
157	दक्षिण सूडान	2.1	0.6	5.3
158	बेलारूस	5	6.3	5.2
159	न्यू कैलेडोनिया	5.7	3.7	5
160	रीयूनियन	4.3	4.1	4.9
161	वेनेज़ुएला	17.8	7.6	4.8
162	तुर्कमेनिस्तान	15.2	6.4	4.3
163	ताजिकिस्तान	0.6	0.7	4.3
164	गिनी बिसाऊ	11.3	1.8	4
165	स्वाज़िलैंड	1.9	3.5	4
166	एफआर पॉलिनेशिया	2.9	4.4	3.6
167	बेलीज़	1	2.2	3.5
168	आइसलैंड	3.9	2	3.2
169	मैसेडोनिया	2.7	2	3.1
170	कोमोरोस	5.2	12.5	3.1
171	बरमूडा	2.8	2.9	2.7
172	ग्रेनेडा	2.3	1.8	2.5
173	सेंट लूसिया	3.3	2.7	2.4
174	गुआडेलूप	2.5	2.5	2.2
175	बहामास	2.6	2.7	2.1
176	एंटीगुआ	1.5	1.9	2.1

177	मोल्डोवा	0.7	1.2	2
178	कैमेन महाद्वीप	2.5	2	2
179	कैफ्री गणराज्य	1	0.5	1.7
180	लिकटेंस्टाइन	0.1	1.1	1.5
181	मार्टीनिक	2	1.7	1.5
182	आर्मेनिया	5.1	2.2	1.4
183	गुआना संघ	1.1	1.7	1.1
184	इरिट्रिया	0.8	0.9	1.1
185	इक्वीटेरियल गिनी	2	1.1	0.9
186	सेंट किट एन ए	0.9	1.1	0.9
187	वर्जिन महाद्वीप यूएस	0	0.6	0.8
188	किर्गिस्तान	0.6	1.1	0.7
189	समोआ	0.5	0.7	0.5
190	तिमोर-लेस्ते	0.3	0.3	0.5
191	वनॉतु गणराज्य	0.3	0.4	0.5
192	केप वर्डे महाद्वीप	0.4	0.3	0.4
193	नौरू गणराज्य	2.5	1.1	0.4
194	कोरिया डीपी गणराज्य	8.1	6	0.4
195	डोमिनिका	0.3	0.6	0.3
196	सॉलोमन महाद्वीप	0.7	0.3	0.3
197	मार्शल द्वीप	0	13.9	0.2
198	जिब्राल्टर	0.2	0.1	0.2
199	एंडोरा	0.1	0.1	0.2
200	सेंट विसेंट	0.2	0.1	0.2
201	मेयोट्टे	**0**	0	0.1
202	किरीबाती गणराज्य	0	0.1	0.1
203	नॉरफॉक महाद्वीप	0	0	0.1
204	एन मारियाना महाद्वीप	0	0	0.1
205	मोनाको	0	0	0.1
206	लेसोथो	0.1	0.2	0.1
207	टोंगा	0.1	0.3	0.1
208	साव टोम	0.2	0	0.1
209	गुआम	0	0.1	0
210	मकाओ	0.7	0.1	0
211	मोंटेसेराट	0.3	0	0
212	यूएस माइनर के बाहर द्वीप	0.7	0.2	0
213	टर्क सी महाद्वीप	0.4	0.2	0
214	एंग्विला	0	0.1	0
215	पीटकैरीन महाद्वीप	0.1	0	0
216	अमेरी समोआ	0	0.2	0
	कुल	**65238.8**	**76199.2**	**81017.4**

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3969**

वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 18 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

डब्ल्यूटीओ में निर्यात प्रोत्साहन के मामले

3969. श्री सुशील कुमार सिंहः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) द्वारा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में घरेलू निर्यात प्रोत्साहन के विरुद्ध दायर एक मामला हार गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) संपूर्ण देशभर में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) योजना पर इस निर्णय के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस निर्णय के आलोक में एसईजेड योजना को बंद करने की योजना बना रही है जो भारत को सभी एसईजेड को निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करने से रोकता है;

(घ) भारतीय अर्थव्यवस्था पर एसईजेड योजना को समाप्त करने के अनुमानित प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि उक्त एसईजेड योजना बंद की जाती है तो सरकार किस प्रकार से संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के अपने वादे को पूरा करने की योजना बना रही है;

(च) 'मेक इन इंडिया' पर इस योजना के बंद होने के अनुमानित प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(छ) 2015 के अब तक विभिन्न देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन में दर्ज सभी मामलों का ब्यौरा क्या है तथा क्या भारत के पक्ष में निर्णय हुआ था?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) : डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान पैनल ने दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 को सदस्यों को जारी अपनी रिपोर्ट में फैसला सुनाया है कि भारत की निर्यात संबंधी स्कीमें (एसईजेड स्कीम सहित) निर्यात प्रासंगिक हैं तथा वे सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार के तहत निषिद्ध प्रकृति की सब्सिडियां है और इस कारण डब्ल्यूटीओ मानदंडों से असंगत हैं। पैनल ने एसईजेड स्कीम को वापस लेने के लिए 180 दिन की समय-सीमा प्रदान की है। तथापि, भारत ने दिनांक 19 नवम्बर, 2019 को पैनल रिपोर्ट पर अपील की है और अपीलीय निकाय के गैर-प्रचालनात्मक होने के कारण अपील को आस्थगित रखा गया है। अपील के निपटान होने तक पैनल की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए भारत बाध्य नहीं है।

(च) एवं (छ) : वर्ष 2015 से भारत के विरुद्ध दस विवाद दायर किए गए हैं और डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान पैनल ने मात्र दो मामलों में फैसला सुनाया है और दोनों ही मामले भारत के विरुद्ध गए हैं। एक शिकायतकर्ता के तौर पर भारत ने वर्ष 2015 से तीन मामले दायर किए हैं जिनमें से मात्र एक विवाद पर पैनल द्वारा निर्णय लिया गया है और इसका फैसला भारत के पक्ष में है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4002**

वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 18 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

भारत–श्रीलंका व्यापार

4002. श्री जुआल ओरम :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत–श्रीलंका के बीच किन क्षेत्रों में व्यापार स्थापित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का भारत–श्रीलंका व्यापार का और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के लिए बनाए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय व्यापार अनेक क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादों को कवर करता है। वर्ष 2018-19 में भारत से श्रीलंका को निर्यात की जानी वाली प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, जहाज, नावें और तैरने वाली संरचनाएं, सूती कपड़ा और मेड-अप्स द्विपक्षीय एवं तिपहिया वाहन, ड्रम फार्मूलेशंस एवं बायोलोजिकल्स, लोहा एवं इस्पात उत्पाद, मोटर वाहन/कारें, चीनी, कागज, गत्ता एवं उत्पाद, सीमेंट, क्लींकर्स, एस्बेस्टॉस सीमेंट इत्यादि शामिल हैं जबकि श्रीलंका से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में जहाज, नावें और तैरने वाली संरचनाएं, मसाले, ताजे फल, कागज, गत्ता एवं उत्पाद, एक्सेसरी, सहित रेडिमेड सूती वस्त्र, अन्य टेक्सटाइल यार्न फेब्रिक मेड अप मदें, तांबा व तांबा उत्पाद, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एवं उपकरण, अन्य निर्माण मशीनरी, साइकिल व इसके पुर्जे इत्यादि शामिल है।

(ख) और (ग) : सरकार श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर सकारात्मक ढंग से कार्य कर रही है। व्यापार में बढ़ोतरी के तंत्र का पता लगाने के लिए समय-समय पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों, शीर्ष व्यापार निकायों इत्यादि को श्रीलंका सहित विदेशों में आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से निर्यात में वृद्धि करने के लिए बाजार पहुंच पहल स्कीम के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4003**
वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 18 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

चाय उत्पादकों को भूमि आवंटन

4003. श्री नव कुमार सरनीयाः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में विभिन्न चाय उत्पादकों को आवंटित किए गए भूमि सम्बन्धी मानदंडों का ब्यौरा क्या है और किये गए उक्त आवंटनों के आंकड़े क्या हैं;
(ख) क्या ब्रिटिश सरकार को भूमि पट्टे पर दी गई थी;
(ग) यदि हां, तो यह भूमि कितनी अवधि के लिए पट्टे पर दी गई थी और किस कानून के तहत यह समझौता किया गया था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या असम के विभिन्न चाय बागानों में भू–भाग का कुछ हिस्सा जंगली हाथियों के खुला घूमने के लिए सीमांकित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) श्रमिकों को ब्रिटिश शासन में असम के चाय बागानों में किन शर्तों के आधार पर लाया गया था; और
(च) उन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है जो उन्हें दिए जाने का आश्वासन दिया गया था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : असम में चाय उद्योग के विकास एवं विस्तार को प्रोत्साहित करने को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर विभिन्न नियमों के अंतर्गत यथा 1838 का वेस्ट लैंड ग्रांट रूल्स, 1854 के ओल्ड असम रूल्स; 1862 के फी सिम्पल रूल्स, 1874 के रिवाइज्ड फी सिम्पल रूल्स तथा 1876 के नव पट्टा नियम के तहत विशेष तौर पर अनुकूल शर्तों पर चाय की खेती करने के लिए भूमि प्रदान की गई थी।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर भूमि नहीं दी गई थी।

(घ) : जंगली हाथियों के खुला घूमने के लिए चाय बागानों के क्षेत्र का कोई आधिकारिक सीमांकन नहीं किया गया है। तथापि, असम के संरक्षित क्षेत्रों और जंगलों के साथ लगे हुए कुछ चाय बागान क्षेत्रों में वन्य जीव अल्पावधि के लिए प्रवासन करते हैं या ठहरते हैं।

(ङ.) और (च) : ब्रिटिश काल के दौरान असम में चाय बागानों के क्रमिक विस्तार के कारण नए बागानों में श्रमिकों की अत्यधिक कमी हो गई। तदनुसार, ब्रिटिश सरकार ने वर्तमान में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि स्थानों से श्रमिकों के प्रवास को सुगम बनाया। 1951 में अधिनियमित बागान श्रमिक अधिनियम और असम बागान श्रमिक नियम, 1956 के माध्यम से उसके अंतर्गत बनाए गए नियम असम में चाय बागान कामगारों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, पेय जल, कैंटीन, क्रैच, शिक्षा सुविधाएं, आवास, संरक्षण, मनोरंजन सुविधाएं और अन्य सुविधाएं (छाता, कम्बल, बरसाती इत्यादि) सुनिश्चित करते हैं।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4035

<u>दिनांक 18 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

एसईजेड में कॉरपोरेट घरानों की भूमि

4035. श्री अरविंद सावंतः
श्री कृपाल बालाजी तुमानेः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेडएस) के माध्यम से कॉरपोरेट घरानों द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) विभिन्न स्थानों पर एसईजेडएस के माध्यम से उसके पास उपलब्ध भूमि पर कम लागत वाले आवासन क्षेत्र में प्रवेश करने पर विचार कर रही है;
(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार भूमि उपयोग से संबंधित कानून में छूट देने पर विचार कर रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) : भूमि राज्य का विषय है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए भूमि का अधिप्रापण संबंधित राज्य सरकार की नीति एवं प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है। एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11(9) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एसईजेड में भूमि का विक्रय करने की अनुमति नहीं है। एसईजेड नियम, 2006 के नियम 5 के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र सभी एसईजेडों के कुल क्षेत्र के न्यूनतम 50 प्रतिशत पर समान रूप से तय किया जाता है। गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र का उपयोग एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11क के प्रावधानों के अनुसार शासित किया जाता है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4047**

वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 18 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

काली मिर्च के अनुचित आयात का प्रभाव

4047. श्री राहुल गांधीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पड़ोसी देशों से अनुचित आयात के कारण घरेलू काली मिर्च उत्पादक प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा काली मिर्च के अनुचित आयात को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, जिससे घरेलू उत्पादकों को सहायता मिलेगी?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएलएफटीए) तथा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी करार (सॉफ्टा) के प्रावधानों का उपयोग करके, श्रीलंका के माध्यम से पड़ोसी देशों से भारत में कम गुणवत्ता वाली काली मिर्च के अनुचित आयात के संबंध में राज्य सरकारों, जन प्रतिनिधियों, उपजकर्ता एसोसिएशनों आदि से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। कुछ पड़ोसी देशों अर्थात् नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश से होकर भारत में उच्चतर दरों पर अन्य मूल का बीजक बनाकर खराब गुणवत्ता वाली काली मिर्च के आयात और काली मिर्च की तस्करी के संबंध में भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) : काली मिर्च के अनुचित आयात को रोकने और काली मिर्च की घरेलू कीमत को स्थिर करने के लिए सरकार ने दिनांक 06.12.2017 को जारी विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के तहत काली मिर्च का सीआईएफ मूल्य 500/-रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) के रूप में निर्धारित किया था। इसके बाद, न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) अधिसूचना में दिनांक 21.03.2018 की डीजीएफटी अधिसूचना के तहत 500/-रुपये प्रति किलोग्राम या उससे अधिक पर काली मिर्च के आयात को मुक्त और 500/-रुपये प्रति किलोग्राम से कम के आयात को निषिद्ध करके संशोधन किया गया था। सीमाशुल्क एवं राजस्व आसूचना निदेशालय के फील्ड फार्मेशनों को जागरूक किया गया है और भारत में अन्य देशों से घटिया गुणवत्ता वाली काली मिर्च का पता लगाने और उसके प्रवेश को रोकने के लिए पत्तनों के प्रवेश स्थल पर सतर्क किया गया है। सीमाशुल्क ने अभिनव विगत में काली मिर्च की तस्करी के प्रयास के कई मामले दर्ज किए हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार के अनुरोध पर, श्रीलंका सरकार ने भारत को भेजे जाने वाले तीसरे देश की काली मिर्च के पोतलदान के लिए उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने को रोकने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की है। श्रीलंका सरकार ने भारतीय प्राधिकारियों को आईएसएलएफटीए और सॉफ्टा के तहत काली मिर्च के निर्यात के लिए जारी किए गए उद्गम प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रतियों की जांच करने के लिए पहुंच भी प्रदान की है और इंटरपोर्ट ट्रेड एवं कमर्शियल हब आपरेशंस के माध्यम से श्रीलंका के काली मिर्च सहित मसालों के आयात को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है ताकि इन मसालों का भारत को पुनः पोतलदान न किया जा सके। इन कार्रवाईयों के परिणामस्वरूप काली मिर्च के आयात की मात्रा में 2018 तथा 2017 की समरूप अवधि की तुलना में 2019 में काफी गिरावट प्रदर्शित हुई है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4052**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 18 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

रबड़ बोर्ड मुख्यालय का स्थानांतरण

4052. श्री एंटो एन्टोनीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऐसी आशंकाएं है कि सरकार रबड़ बोर्ड के मुख्यालय को केरल से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास देश भर में कार्यरत आंचलिक कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान मुख्यालय से अन्य कार्यालयों में स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों की संख्या के संबंध में कोई वर्ष–वार ब्यौरा उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, नहीं।

(ग) : व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुपालन में, स्थापना/प्रचालन व्यय को कम करने और बोर्डों के सुचारू और प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, रबड़ बोर्ड सहित कमोडिटी बोर्डों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया।

(घ) एवं (ड.) : देश भर में रबड़ बोर्ड के 45 आंचलिक कार्यालय एवं 152 प्रक्षेत्र कार्यालय कार्यरत हैं।

(च) : रबड़ बोर्ड के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती के मानकों के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित कर्मचारी संख्या को मुख्यालय से अन्य कार्यालयों में अंतरित/स्थानांतरित किया गया :

वर्ष	मुख्यालय से स्थानांतरण
2014-15	49
2015-16	64
2016-17	34
2017-18	44
2018-19	39

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4060

दिनांक 18 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज

4060. श्री जगदम्बिका पालः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ईरान के साथ व्यापार करने के लिए यूरोपीय संघ (ई॰यू॰) द्वारा भारत को आई॰एन॰एस॰टी॰ई॰एक्स॰ (इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज) पहल का हिस्सा बनाने का इरादा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा प्रतिबंधों के पश्चात् सरकार का ईरान के साथ व्यापार करने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(**श्री पीयूष गोयल**)

(क) एवं (ख) जी नहीं। अभी तक यह तंत्र यूरोपीय संघ (ईयू) क्षेत्र से बाहर के देशों तक विस्तारित नहीं किया गया है।
(ग) भारत के ईरान के साथ राजनयिक संबंध, व्यापारिक एवं आर्थिक संबंध बने हुए हैं और नियमित रूप से लोगों का परस्पर आदान प्रदान होता है। उच्च स्तर के संपर्क बनाकर रखे गए हैं और विभिन्न संस्थागत तंत्रों की बैठकें नियमित अंतरालों पर आयोजित कराई जाती हैं जिनमें विदेश मंत्री स्तर पर संयुक्त आयोग की बैठकें, विदेश कार्यालय परामर्श, व्यापार एवं वाणिज्य पर संयुक्त कार्य समूह आदि की बैठकें शामिल हैं।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4065

दिनांक 18, मार्च 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

आरसीईपी से अलग हटना

4065. श्री दिव्येन्दु अधिकारीः
श्रीमती वीणा देवीः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने घरेलू उद्योगों तथा कृषि उत्पादन के हित में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आर॰ई॰सी॰पी॰) पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है;
(ख) यदि हां, तो आरसीईपी के उन विभिन्न खंडों का ब्यौरा क्या है जिनका हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;
(ग) क्या भारत ने आर॰सी॰ई॰पी॰ समझौते में कतिपय शर्तों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया है ताकि भारत भविष्य में इस प्रकार के बड़े वाणिज्यिक समूह से बाहर नहीं रहे;
(घ) यदि हां, तो उन शर्तों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार की वैकल्पिक योजना का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या ये शर्तें देश की घरेलू चिंताओं का समाधान करती हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) : दिनांक 4 नवबर, 2019 को बैकांक में आयोजित आरसीईपी नेताओं के तीसरे शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कहा कि आरसीईपी की वर्तमान संरचना आरसीईपी के मार्गदर्शक सिद्धातों को प्रतिबिम्बित नहीं करती अथवा यह भारत के बकाया मुद्दों और समस्याओं का समाधान नहीं करती है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत आरसीईपी में सम्मिलित नही हुआ। आरसीईपी का प्रयोजन भारत सहित आरसीईपी देशों के लिए परस्पर लाभकारी परिणाम देना था तथापि इसकी वर्तमान संरचना भारत के हितधारकों की महत्वाकांक्षाओं और समस्याओं का पर्याप्त समाधान नहीं करती। भारत ने यह भी उल्लेख किया कि एक्ट ईस्ट नीति भारत की आर्थिक नीति का मूल सिद्धांत था और आसियान देशों तथा अन्य व्यापारिक साझीदारों के साथ भारत का संबंध जारी रहेगा।

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्‌योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4094

दिनांक 18, मार्च 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

घरेलू बाजार को खोलने हेतु दबाव

4094. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री कौशलेन्द्र कुमारः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या घरेलू बाजार को खोलने हेतु सरकार पर कई देशों से लगातार प्रशुल्क लगाने की धमकी और दबाव पड़ रहा है;
(ख) क्या विदेशी शक्तियां हमारे आन्तरिक व्यापार मामलों में लगातार हस्तक्षेप कर रही हैं;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देश के हितों की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठा रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्‌योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : जी नहीं । सरकार की व्यापार नीति डब्ल्यूटीओ में बहुपक्षीय व्यापारिक प्रतिबद्धताओं एवं इसके घरेलू उद्‌योग के हितों के रक्षोपाय सहित इसकी लोक नीति अनिवार्यताओं के आधार पर बनाई जाती है । तथापि, द्‌विपक्षीय चर्चाओं के दौरान टैरिफ और गैर टैरिफ अवरोधों का मुद्दा भी व्यापार साझीदारों द्‌वारा उठाया जाता है । देश के व्यापार हितों की रक्षा करने के लिए किए गए कुछ उपायों में व्यापार उपचारात्मक उपाय जैसे पाटन-रोधी, रक्षोपाय एवं प्रतिसंतुलनकारी उपायों का आश्रय लेना, व्यापार करारों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना, आयातों की उपयुक्त गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक एवं तकनीकी विनियम बनाना, लॉजिस्टिक सेक्टर का समेकित विकास और व्यापार को सुगम बनाने के लिए स्कीमें एवं नीतियाँ जैसे कृषि निर्यात नीति, निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) तथा परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) शामिल हैं।

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4134

<u>दिनांक 18 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

भारत से निर्यात

4134. श्री जुगल किशोर शर्माः
श्रीमती रीती पाठकः
श्री सुदर्शन भगतः
श्री अधिकारी दीपक (देव)

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के वर्ष 2018–19 के अपने निर्यात लक्ष्य से चूकने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इसका अर्थव्यवस्था पर क्षेत्र–वार प्रभाव क्या है;

(ग) आर्थिक मंदी के कारण जो घरेलू क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं उनका ब्यौरा क्या है तथा भारत की निर्यात नीति के कारण घरेलू रोजगार अवसरों में किस हद तक कमी या वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार को उक्त क्षेत्रों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन परिषदों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि उनके कार्य निष्पादन में सुधार किया जा सके तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) अपनी निर्यात नीति में परिवर्तन करने सहित उक्त समस्या के समाधान के लिए किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौया क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

***

(क) से (ग): भारत के व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात वर्ष 2017–18 में 303.53 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ कर वर्ष 2018–19 में 330.07 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है जिससे 8.75 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2013–14 के बाद की अवधि में वैश्विक आर्थिक/वित्तीय संकट के बढ़ने की वजह से भारत के निर्यात क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तथापि, निर्यात वर्ष 2016–17 से लगभग तीन वर्षों तक दीर्घकालिक आधार पर बढ़ता रहा है और वर्ष 2018–19 में पहली बार कुल निर्यात आधे ट्रिलियन डालर से अधिक मूल्य के नए शिखर पर पहुंच गया। वर्ष 2018–19 हेतु निर्यात के क्षेत्र–वार मूल्य और पिछले वर्ष 2017–18 की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन **अनुलग्नक** में दिया गया है। 1 अप्रैल, 2015 को लांच की गई विदेश व्यापार नीति (2015–20) "मेक इन इण्डिया", "डिजिटल इण्डिया", "स्किल इण्डिया", 'स्ट्रार्ट अप इण्डिया' और "व्यापार करने को सुगम बनाने" की पहलों के संगत देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढाने और रोजगार सृजित करने तथा मूल्य संवर्धन में वृद्धि करने हेतु एक ढांचा प्रदान करती है।

(घ) और (ङ.) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापार संगठनों/निर्यात संवर्धन परिषदों से समय–समय पर अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त होते हैं जिन पर व्यापार नीतियों की समीक्षा और सुधार करने की नियमित सतत प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विचार किया जाता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निर्यात नीति में परिवर्तनों सहित निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए हैंः–

(i) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–20 में अन्य बातों के साथ–साथ पूर्व की निर्यात संवर्धन स्कीमों को तर्कसंगत बनाया गया और दो नई स्कीमें अर्थात माल के निर्यात में सुधार लाने के लिए भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए 'भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)' आरंभ की गई। इन स्कीमों के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपों को पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय बनाया गया।

(ii) विदेश व्यापार नीति 2015–20 की मध्यावधि समीक्षा दिसम्बर, 2017 में की गई जिसके अंतर्गत श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन राशि में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

(iii) लाजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए वााणिज्य विभाग में एक नए लाजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन किया गया। विश्व बैंक के लाजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2014 में 54 वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया।

(iv) पूर्व एवं पश्च पोतलदान रुपये निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 1.4.2015 से प्रारंभ किया गया जिसमें श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज समकरण प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 2.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया और दिनांक 2.1.2019 से स्कीम के अंतर्गत मर्चेन्ट निर्यातकों को शामिल किया गया।

(v) विशिष्ट निर्यात दायित्व को 90 प्रतिशत से 75 प्रतिशत सामान्य निर्यात दायित्व तक कम करते हुए निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम के अंतर्गत स्वदेशी विनिर्माताओं से पूंजीगत माल की खरीद को बढ़ाने के उपाय।

(vi) निर्यात उत्पाद हेतु विनिर्दिष्ट समय–सीमा में निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात को अनुमत करने के लिए अग्रिम प्राधिकार–पत्र जारी करना।

(vii) व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए आयातक निर्यातक कोडों (आईईसी) को ऑनलाइन जारी करना प्रारंभ किया गया है। विश्व बैंक में "व्यापार करने की सुगमता" में भारत का रैंक वर्ष 2014 में 142 से बेहतर होकर वर्ष 2019 में 63 हो गया तथा "सीमा पार व्यापार" में रैंक 122 से सुधरकर 80 हो गया।

(viii) देश में निर्यात अवसंरचना अंतर को पाटने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से एक नई स्कीम नामतः "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)" को प्रारंभ किया गया।

(ix) परिधानों और निर्मितियों के निर्यात को शामिल करते हुए एक नई स्कीम राज्य और केन्द्रीय कर और लेवीज की छूट की स्कीम (आरओएससीटीएल) को दिनांक 07.03.2019 को अधिसूचित किया गया जिसके अंतर्गत शुल्कों/करों का उच्च दरों पर रिफंड प्रदान किया जा रहा है।

(x) दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को एक व्यापक "कृषि निर्यात नीति" प्रारंभ की गई जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना तथा कृषि निर्यात को बल प्रदान करना है।

(xi) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन की उच्च लागत के नुकसान को कम करने के लिए एक नई स्कीम नामतः "परिवहन एवं विपणन सहायता" (टीएमए) प्रारंभ की गई है।

(xii) सरकार ने करों/शुल्कों/लेवीज जिनका वर्तमान में केन्द्रीय राज्य और स्थानीय स्तर पर किसी अन्य तंत्र के अंतर्गत रिफंड नहीं दिया जा रहा है, की प्रतिपूर्ति के लिए दिनांक 13.03.2020 को निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) हेतु नई स्कीम प्रारंभ की है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 18 मार्च 2020 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4134 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए भारत के व्यापारिक वस्तुओं का क्षेत्रवार निर्यात

				(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)
क्र.सं.	**क्यू ई समूह**	**2017–18**	**2018–19**	**प्रतिशत परिवर्तन**
1	इंजीनियरिंग माल	78696	83622	6.26
2	पेट्रोलियम उत्पाद	37465	46554	24.26
3	रत्न और आभूषण	41544	40251	–3.11
4	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	18508	22379	20.91
5	औषध और भेषज	17283	19147	10.78
6	सभी किस्मों के कपड़ों के रेडीमेड परिधान	16707	16138	–3.40
7	इलैक्ट्रानिक वस्तुएं	6393	8829	38.11
8	सूती धागा/कपड़ा/निर्मितियो, हथकरघा उत्पाद आदि	10260	11215	9.31
9	प्लास्टिक और लिनोलियम	6851	8607	25.64
10	समुद्री उत्पाद	7389	6803	–7.94
11	चावल	7806	7751	–0.71
12	मानव निर्मित धागा/कपड़ा/निर्मितियां आदि	4826	4981	3.19
13	चमड़ा और चमड़ा निर्मितियां	5289	5141	–2.80
14	प्रक्रिया सहित अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, खनिज	3777	4255	12.65
15	मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद	4610	4364	–5.34
16	मसाले	3115	3322	6.65
17	चीनी मिट्टी के उत्पाद और कांच से निर्मित वस्तुएं	2132	2649	24.27
18	लौह अयस्क	1471	1317	–10.45
19	फल और सब्ज़ियां	2513	2541	1.10
20	हस्तशिल्प विशिष्ट रूप से हाथ से बना कालीन छोड़कर	1823	1838	0.81
21	अनाज निर्मितियां और विविध प्रसंस्कृत वस्तुएं	1417	1555	9.80
22	कालीन	1430	1482	3.64
23	तिलहन	1174	1157	–1.50
24	तंबाकू	934	981	5.04
25	चाय	837	831	–0.77
26	खली	1093	1509	38.01
27	कॉफी	969	822	–15.10
28	काजू	922	654	–29.05
29	फर्श कवरिंग सहित जूट विनिर्मितियां	335	325	–3.03
30	अन्य अनाज	249	349	40.38
31	अन्य	15705	18709	19.13
कुल निर्यात		**303526**	**330078**	**8.75**

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस